वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

CIRCULAR No.44

संख्या/No 5-1/34/2008-PD

दिनांक/Dated: 07.01.2009

प्रेषक/From
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में/To,
सीएसआईआर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान
The Director/Heads of all National Labs./Instts of CSIR

Sub.:- CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997

Sir,

I am directed to invite kind attention to Rule 3.2 and 3.2.1(d) of CSIR (Residence Allotment) Rules,1997 and CSIR Circular No.CSIR (Resi.Allot) 97-Estate dated 18.1.1998 relating to entitlement for allotment Scientist Apartment and to say that with the implementation of Sixth Central Pay Commission in CSIR, DG, CSIR has been pleased to approve the revised eligibility criteria for allotment of Scientist Apartment under Rule 3.2 and Rule 3.2.1(d) of CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 as under :-

"3.2 Scientist Apartments

The accommodation in Scientist Apartments shall be treated as transit accommodation only. Entitlement for allotment of these Apartments shall be as under:-

Type	Entitlement
i) Double/Three room Scientist Apartments	Scientists in Group IV drawing grade pay of Rs. 6600/- and above
ii) Single room Scientist Apartment	Scientist in Group IV drawing grade pay of Rs. 5400/-

Explanation - Scientist in Group IV drawing grade pay below Rs. 6600/- may be considered for allotment of Double/Three room Scientist Apartment if Scientists drawing grade pay of Rs. 6600/- and above are not available on the date on which the apartment has fallen vacant."

"3.2.1 (d) - Technical Officers in Group III drawing grade pay of Rs.4600 and above."

The priority for allotment to CSIR Fellow under Quick Hire Scheme, Emeritus Scientists/Research Associate/Sr. Research Assistnat (Pool Officers), Research Fellows and Section Officers and above in non-technical side under Rule 3.2.1 will remain the same.

As regard other types of residence, entitlement will be modified on receipt of instructions from the Govt. i.e. Directorate of Estate till such time eligibility may be decided based on existing provisions.

It is requested that the above decision may please be brought to the notice of all concerned in your Lab./Instt. for information, compliance and necessary action.

Yours faithfully,

(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं. 448

सं. 5-1/34/2008-पीडी

दिनांक : 07.01.2009

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय : सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997

महोदय,

मुझे वैज्ञानिक अपार्टमेंट के आवंटन हेतु हकदारी संबंधी सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997 के नियम 3.2 एवं 3.2.1 (घ) और सीएसआईआर के दिनांक 18.01.1998 के परिपत्र सं. सीएसआईआर (आवास आवंटन) 97-संपदा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सीएसआईआर में छठवें वेतन आयोग के लागू होने पर महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997 के नियम 3.2 एवं नियम 3.2.1 (घ) के तहत वैज्ञानिक अपार्टमेंट के आवंटन हेतु संशोधित पात्रता मानदंड को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया है :

"3.2 वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स

वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स में आवास को सिर्फ ट्रांजिट आवास समझा जाएगा। इन अपार्टमेंट्स के आवंटन हेतु हकदारी निम्नानुसार होगी :

	टाइप	**हकदारी**
i)	दो/तीन कमरों वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट्स	रुपये 6600/- एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे समूह-IV के वैज्ञानिक
ii)	एक कमरे वाला वैज्ञानिक अपार्टमेंट	रुपये 5400/- का ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे समूह-IV के वैज्ञानिक

स्पष्टीकरण - यदि अपार्टमेंट के खाली होने की तारीख को रुपये 6600/- एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं है तो रुपये 6600/- से कम ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे समूह-IV के वैज्ञानिक को दो/तीन कमरे वाले वैज्ञानिक अपार्टमेंट का आवंटन करने पर विचार किया जा सकता है।"

"3.2.1 (घ) – रुपये 4600 एवं उससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे समूह-III के तकनीकी अधिकारी"

नियम 3.2.1 के अन्तर्गत क्विक हायर स्कीम के अंतर्गत सीएसआईआर फैलो, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों/रिसर्च एसोसिएट/वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (पूल अधिकारी), अनुसंधान फैलो और गैर-तकनीकी वर्ग में अनुभाग अधिकारियों तथा उनसे उच्चतर अधिकारियो के लिए आवंटन हेतु प्राथमिकता पूर्ववत रहेगी।

जहां तक आवास की अन्य टाइप्स का संबंध है, हकदारी में सरकार अर्थात संपदा निदेशालय से अनुदेश प्राप्त होने पर संशोधन किया जाएगा तब तक पात्रता का निर्धारण मौजूदा प्रावधानों के आधार पर किया जाए।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय को सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in